मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

पत्र क्रं.-22(ए)/64-53/2015/एमपीएस/31/220 भोपाल दिनांक-20/02/2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

विषय :- बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना नहर कार्य (यूनिट-2) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति।

-000-

बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के नहर कार्य (यूनिट-2) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक-22(ए)/64/53/07/एम.पी.एस/31/1170 दिनांक 08.05.2013 को सैच्य क्षेत्र 191737 हे. राशि रू. 3524.38 करोड़ की प्रदाय की गई थी।

2. उक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.05.2013 के लिए मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत संक्षेपिका में यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में मध्यप्रदेश के हिस्से में उपलब्ध जल से उपरोक्त सैच्य क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 50 हजार हे. सैच्य क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है।

3. मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 07/02/2015 में उपरोक्त सैच्य क्षेत्र एवं उनकी लागत को सम्मिलित कर बाणसागर परियोजनांतर्गत उसके घटक नहरों की वर्तमान सिंचाई क्षमता एवं लागत निम्नानुसार स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की गई :-

स.क्रं.	नहरों का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे.)	निजी साधनों से उद्वहन (हे.)	लागत राशि (रू. करोड़ में)
1.	दांयी तट नहर (मगरदहा नहर सहित)	4047	1000	(47.86+6.42) 54.28
2.	भितरी नहर	2185		6.16
3.	सिंहावल नहर	28794	2000	393.26
4.	क्योंटि नहर	37071	2000	731.89
5.	गुढ़ मऊगंज उद्वहन योजना	1747	-	136.96
6.	पुरवा नहर	59267	16000	770.56
7.	पुरवा नहर की मुझगवां शाखा	19217	-	193.98
8.	त्योंथर उद्वहन योजना	11411	-	221.20
9.	त्योंथर फ्लो योजना	41400	-	490.84
10.	बहुती नहर	65481	-	859.60
	कुल :	**2,70,620**	**21,000**	**3858.73**

D:\MPS FOLDAR-2015\MPS-2015\MPS LETTER-2015.docराउत//

4. राज्य शासन एतद द्वारा बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना नहर कार्य(यूनिट-II) एवं उसके अंतर्गत समस्त घटकों सहित पूर्व में प्रदान की गई समस्त प्रशासकीय स्वीकृतियों को अद्यतन करते हुए 2,91,620 हेक्टर सैच्य क्षेत्र (सीसीए) हेतु राशि रूपये 3858.73 करोड़ (तीन हजार आठ सौ अठांवन करोड़ तिहत्तर लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान करता है।

5. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही०एस० टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रं.-22(ए)/77/2015/एमपीएस/31/221 भोपाल दिनांक-20/02/2015

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव (बजट) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, गंगा कछार जल संसाधन विभाग, रीवा।
5. अधीक्षण यंत्री, बाणसागर परियोजना मण्डल, रीवा।
6. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग भोपाल, निवेदन है कि शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के विषय विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. बैव मैनेजर, विश्व बैंक परियोजनाएं जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया स्वीकृति आदेश विभागीय वेबसाईट पर दर्ज करने का कष्ट करें।

उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग